न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
25/18	16.01.2018	25.02.2019

1 कंवरसिंह
2 अमरसिंह पुत्रान प्रभात
3 रामसिंह
4 लक्खीराम पुत्रान रत्तीराम जातियान अहीरान निवासीयान बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–वादीगण

बनाम

1 अर्जनदास पुत्र सेवाराम जाति खत्री निवसी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा– अन्तर्गत धारा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इंद्राज वो हु0 ई0 दवामी

उपस्थिति– श्री हंसराज यादव वकील वादीगण

–:निर्णयः–

दिनांक :– 25.02.2019

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा की साबिक आराजी खसरा नं0 360 से बने हाल आराजी खसरा नं0 448 रकबा 0.82 हैक्0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर मे स्थित होकर विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। उक्त विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 360 मिन तरफ पश्चिम सवा दो बीघा वाके ग्राम मुण्डावर के खातेदार काश्तकार सेवाराम उर्फ सेवामल पुत्र चांदूमल निवासी ग्राम मुण्डावर थें जो प्रतिवादी सं0 1 के पिता थे। सेवाराम उर्फ सेवामल के प्रतिवादी सं0 1 वारिस है। प्रतिवादी के पिता ने अपने कब्जेकाश्त खातेदारी की उपरोक्त आराजी मिनवादीगण के पिता प्रभात व रत्तीराम को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.07.1968 को विक्रय कर बयनामा उपपंजीयक द्वारा तस्दीक किया गया था। वक्त खरीद से मिन वादीगण के पिता उपरोक्त खरीदशुदा आराजी पर बहैसियत केता काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

थे तथा उनकी फौतगी पर मिनवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। बयनामा के आधार पर मिन वादीगण के पिता के नाम इंतकाल सहवन से दर्ज व स्वीकार नही किया गया जिस कारण विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 के पिता का नाम का इंद्राज चला आ रहा है। विवादित आराजी से किसी दिगर व्यक्ति व प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नही है। उपरोक्त गलत इंद्राजात से मिन वादीगण के हक हकूक गंभीररूप से प्रभावित हो रहे है एवं उक्त गलत इंद्राज मिन वादीगण के अधिकारो के विरूद्व बातिल बेअसार एवं शून्य है एवं नाकाबिल पाबन्दी हैं। जिसे मिनवादीगण निरस्त कराने के अधिकारी है। विवादित आराजी मे प्रतिवादी के पिता के नाम होने से उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते है तथा एलानिया धमकी दी है कि वे अपने पिता का विरासत इंतकाल दर्ज व स्वीकार करा कर दिगर व्यक्तियों का रहन, बय, हिबा के मुन्तकिल करेगे जिसका प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नही है। यदि प्रतिवादी ने मिनवादीगण को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर दिया या कब्जे काश्त मे मजाहमत पैदा की तो मिनवादीगण को भारी नापूर्ति होने वाल क्षति होगी का निवेदन करते हुए वादपत्र विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादिर की जावे की साबिक ख0 नं0 360 मिन तरफ पश्चित सवा दो बीघा हाल आराजी ख0 नं0 448 रकबा 0.82 हैक्0 का 31/65 मिन रकबा वाके ग्राम मुण्डावर का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वो वादीगण को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर कब्जा ना करे, ना ही वादीगण के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी सं0 1 बावजूद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति मे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी एवं प्रतिवादी सं0 2 की ओर से बतौर जवाब मौका रिपोर्ट दिनांक 02.11.2018 पेश हुई जो शामिल पत्रावली है, मुताबिक रिपोर्ट ग्राम मुण्डावर के हाल खसरा नं0 448/0.82 हैक्0 किस्म बारानी प्रथम की मौका जांच पर खसरा नं0 के दक्षिण–पूर्व कोने पर लगभग 15 बाई 15 फुट का मकान बना हुआ है तथा पश्चिम मेढ से लगते हुए आवासीय मकान 30 बाई 45 फुट का मकान रामसिंह पुत्र रत्तीराम द्वारा बनाय हुए है मौके पर शेष रकबे मे से आधे पर सरसो की फसल तथा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

आधे रकबे पर कपास की फसल कंवरसिंह अमरसिंह पुत्रान प्रभात व रामसिंह लक्खीराम पुत्रान रत्तीराम अहीर निवासी बल्लूवास द्वारा बोई गयी है। पूछताछ करने पर ग्रामवासीयान द्वारा बताया गया कि लगभग 50 वर्षो से उपरोक्त आराजी पर प्रभात, रत्तीराम पुत्रान पेमराज अहीर निवासी बल्लूवास काश्त करते आ रहे है या उनके वारिसान काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि उनके पूर्वजों द्वारा सेवाराम पुत्र चांदूमल जाति सिंधी निवासी मुण्डावर से खरीद किया जाना बताया गया का अंकन है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्यस्वरूप शपथपत्र कंवरसिंह पी0 डब्ल्यू0 1, अमरसिंह पी0 डब्ल्यू0 2, लक्खीराम पी0 डब्ल्यू0 3 एवं दस्तावेजी साक्ष्यस्वरूप रजिस्टर्ड बयनामा की नकल दिनांक 27.07.1968 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2025 प्रदर्श–2 एवं हाल नकल जमाबन्दी संवत् 2068–72 प्रदर्श–3 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादीगण के वादपत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए विवादित आराजी के साबिक खसरा नं0 360 मिन तरफ पश्चिम सवा दो बीघा को प्रतिवादी के पिता सेवाराम उर्फ सेवामल खातेदार से खरीद कर वादीगण के पिता प्रभात, रत्तीराम समभाग पुत्रान प्रेमराज द्वारा दिनांक 27.07.1968 को बयनामा रजिस्टर्ड कराया जाकर खरीद की हुई आराजी है तथा वक्त खरीद से वादीगण के पिता काबिज काश्त रहे है तथा उनकी फौतगी पर वादीगण लगातार काबिज चले आ रहे है आज दिन भी मौके पर काबिज काश्त हैं। आराजी खरीद के बाबत रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.07.1968 प्रदर्श–1 पेश होकर शामिल पत्रावली है एवं नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2024–25 प्रदर्श–2 प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली है परन्तु वादी के पिता के द्वारा बयनामा के आधार पर सहवन से इंतकाल दर्ज व स्वीकार नही कराये जाने के कारण राजस्व रिकार्ड मे हाल तक प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम का इंद्राज चला आ रहा है जो प्रस्तुत हाल जमाबन्दी प्रदर्श–3 से स्पष्ट साबित है का कथन करते हुए वादीगण का वाद डिक्री कर दिये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया जिनके आधार पर मुताबिक प्रदर्श–1 वादीगण के पूर्वज प्रभात, रत्तीराम समभाग पुत्रान प्रेमराज अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सेवाराम पुत्र चांदूमल खत्री निवासी मुण्डावर से दिनांक 2707.1968 से उक्तानुसार आराजी को खरीद किया जाना पंजीबद्ध

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

बयनामे के आधार पर स्पष्ट साबित है तथा वादीगण के पूर्वजों द्वारा वक्त खरीद से आराजी पर काबिज होकर उनकी फौतगी के उपरान्त वादीगण के आज दिनांक काबिज चले आ रहे होने बाबत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 02.11.2018 से भी स्पष्ट कि मौके पर वादीगण काबिज चले आ रहे है। ठीक इसी प्रकार वादीगण के वादपत्र के अवलोकन एवं दौराने बहस वकील वादी द्वारा वादीगण के पूर्वजो द्वारा बयनामा के आधार पर सहवन से इंतकाल दर्ज व स्वीकार नही कराये जाने के अभिकथन की पुष्टि वादीगण द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबन्दी की नकल प्रदर्श –3 के अवलोकन से भी होती है जिसके कलम संख्या 4 मे अंकित सहखातेदारान के अलावा आराजी खसरा नं0 448/0.82 हैक्0 के 31/65 भाग के बाबत अंकित प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सेवामल पुत्र चांदूमल सिंधी सा0 देह गैरखातेदार के अंकन से भी स्पष्ट साबित है कि उपरोक्तानुसार विवादित आराजी वादीगण की खरीदशुदा आराजी रही है। चूंकि उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सेवामल के नाम गैरखातेदारी के अंकन से स्पष्ट साबित है कि उक्त विवादित आराजी के प्रतिवादी सं0 1 के पिता अलोटी रहे है जिससे उक्त विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी रही है। परन्तु वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद मे प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम के बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाबत का सनद पट्टा पेश नही किया है जिससे की उसे खातेदार माना जा सके। राज्य सरकार द्वारा ऐसे अंकन के समय में राशि जमा कर खातेदारी दिये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है। भारत सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्ति दावा एवं अन्य अधिनियम निरसन अधिनियम 2005 को दिनांक 06.09.2005 को अधिसूचित कर विस्थापित व्यक्ति/निष्क्रांत सम्पत्ति संबंधी पांच अधिनियमों क्रमशः The Displaced Persons (Claims) Supplementry Act 1955, The Displaced The Displaced persons (Claims) Act 1950, The Administration of Evacuee property Act 1950, The Evacuee Interest (Separation) Act 1951, Persons (Compensation and Rebabilitation Act 1954. को निरसित (Repeal) कर दिये जाने के पश्चात राजस्व (पुर्नवास) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 द्वारा निष्क्रांत कृषि भूमि के आवंटन/नियमन के संबंध मे दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये। इसी प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रांत भूमि आवंटन) नियम 1963 के नियम 5 ए मे विभागीय अधिसूचना दिनांक 01.12.2011 द्वारा संशोधन किया गया। निष्क्रांत सम्पत्ति पर काबिज आंवटियो के अतिरिक्त सभी प्रकार के गैरखातेदार, पट्टेदार, मौरूसी, गैरमौरूसी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

एवं गैरमुमकिन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए दिनांक 30.03.2012 को विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किए गये तथा अधिसूचना दिनांक 03.10.2013 द्वारा संशोधन कर निष्क्रांत भूमि पर उक्त कृषको के रूप मे दर्ज नाम के काश्तकार को कब्जा नियमन का प्रावधान किया गया। दिनांक 08.02.2019 को इस संबंध मे सलाहकार समिति द्वारा भी उक्त भूमि के नियमन की सिफारिश की गयी जो शामिल पत्रावली है तथा इस प्रकार समय समय पर जारी कस्टोडियन भूमि के संवंध मे परिपत्रों पर गौर किया गया जिससे भी वादीगण का वाद खातेदारी अधिकारी के रूप मे बखूवी साबित है अतः वादीगण के लिए उपयुक्त होगा की इस आधार पर देय राशियां भी जमा करावे, जिससे की राजस्व का भी कोई नुकसान नही हों।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा वाद को महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिये जाने की स्थिति मे वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है। विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि रही है। जिसके संवंध मे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपरोक्तानुसार दर से रकम वसूली योग्य है। परिणामतः वादीगण द्वारा वादपत्र के माध्यम से चाहा अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी खसरा नंबर 448 रकबा 0.82 हैक्टेयर वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 मे से 31/65 भाग यानि 0.39 हैक्टेयर के बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल रिकार्ड मे अंकित प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सेवामल पुत्र चांदूमल के नाम को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत वादीगण को समभाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी होने की स्थिति मे उपरोक्तानुसार नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क के बाबत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा राशि की गणना करायी जाकर वादीगण से राशि प्राप्त कर जमा राजकोष कराये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा राशि जमा राजकोष कराये जाने की बाद प्राप्ति रिपोर्ट उपरान्त पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

यह निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक पदेन कलक्टर,मुण्डावर
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner